निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : C-580/बा0वि0परि0/लेखा/2016-17 दिनांक : 02 अगस्त, 16

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : भवन किराया मद में आवंटित बजट का स-समय उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि विभाग की योजनाएं भारत सरकार की सहायता से संचालित हो रही हैं और भारत सरकार द्वारा व्यय के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इस क्रम में जनपद स्तर पर आवंटित बजट की समीक्षा में यह पाया गया है कि माह जुलाई, 2016 तक जनपद शामली द्वारा भवन किराया मद में आवंटित धनराशि का 74% तथा जनपद आजमगढ़ द्वारा 50% धनराशि का व्यय किया गया है। जनपद बहराईच, बाराबंकी, झांसी तथा कौशाम्बी द्वारा 20%-33%, जनपद इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, औरैया, बलरामपुर, भदोही, चित्रकूट, इटावा, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, हरदोई, जे0पी0 नगर, जौनपुर, कानपुर नगर, लखीमपुरखीरी, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, सन्तकबीरनगर, शाहजहांपुर तथा उन्नाव द्वारा 20% से कम तथा जनपद आगरा, गाजीपुर तथा रामपुर द्वारा 01% से भी कम व्यय किया गया है। शेष 40 जनपदों द्वारा भवन किराया मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। आवंटित धनराशि का समय से व्यय न किये जाने से जहॉ एक ओर देनदारियॉ लम्बित हो रहीं हैं वहीं दूसरी ओर देय देनदारियों का प्रत्येक माह भुगतान न करके वित्तीय वर्ष के अन्त में एकमुश्त धनराशियों का उपभोग किये जाने के कारण भारत सरकार से समयान्तर्गत धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार मासिक आधार पर भवन किराये का भुगतान सुनिश्चित किया जाय अन्यथा किराये का भुगतान विलम्ब से होने की स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक(वित्त)